न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26 / 2022 **दायर दिनांकः 27 / 09 / 2022**
रजि0 नं0 2022 / 264

उनवान

1. रामचन्द्र आयु 43 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति बैरवा निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

आदेश **दिनाकः 27 / 03 / 2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आश्य का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खरखडारामलोथान पटवार हल्का खरखडारामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की आराजी खाता संख्या 308 का ख.नं. 262 / 1269 का रकबा 0.80 हे0, ख.नं. 266 / 1220 का रकबा 0.17 हे0, ख.नं. 271 / 1268 का रकबा 0.17 हे०., ख.नं. 420 / 1270 का रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.30 हेक्टर आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी के पिता का फौती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त सहवन से नाम श्रीलाल के स्थान पर श्री राम गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के ग्राम दीलोद हाथी की खाता संख्या 306 में प्रार्थी के पिता का फौती इन्तकाल सही तस्दीक कर प्रार्थी के पिता का सही नाम श्रीलाल दर्ज किया है। प्रार्थी के पिता का सही नाम श्रीलाल है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 02.08.2019 को हो चुकी है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता का आधार

कार्ड, राशन कार्ड, प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत खरखडारामलोथान के प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीलाल सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम खरखडारामलोथान की आराजी खाता संख्या 308 में प्रार्थी के पिता का नाम श्री राम के स्थान पर सही नाम श्रीलाल दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीलाल सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम श्री राम के स्थान पर सही नाम श्रीलाल दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम खरखडारामलोथान की आराजी खाता संख्या 308 में प्रार्थी के पिता का नाम श्री राम के स्थान पर सही नाम श्रीलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 रामचन्द्र पुत्र श्रीलाल जाति बैरवा निवासी खरखडारामलोथान तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी रामचन्द्र ने अपने सशपथ गवाह बयानों में बताया कि मेरे ग्राम खरखडारामलोथान में खाता संख्या 308 का कुल किता 4 का रकबा 1.30 है0 आराजी दर्ज खाता है जिसमें मेरे पिता का नाम श्रीराम गलत दर्ज कर दिया जबकि मेरे पिता का सही नाम श्रीलाल है। मेरे ग्राम दिलोदहाथी की खाता संख्या 306 जिसमें मेरे पिता का सही नाम श्रीलाल दर्ज है। मेरे व मेरे पिता के सभी दस्तावेजों में मेरे पिता का सही नाम श्रीलाल दर्ज है। इसलिए ग्राम खरखरडारामलोथान की खाता संख्या 308 में मेरे पिता का नाम श्रीराम के स्थान पर श्रीलाल दर्ज किया जावे।

pw 2 राजेश चौधरी पुत्र ब्रजेन्द्र सिहं जाति जाट निवासी दीलोदहाथी तहसील अटरू के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य गवाह ने बताया कि रामचन्द्र व उसके

पिता श्रीलाल को जानता हूँ। रामचन्द्र के खाते की जमीन के पास मे ही जमीन है। मैंने रामचन्द्र के पिता श्रीलाल से जमीन को कई बार मुनाफा काश्त किया है। वर्तमान में भी उक्त जमीन ग्प्रम खरखडारामलोथान की खाता संख्या 308 कुल किता 4 का रकबा 1.30 है0 को मैं मुनाफा काश्त पर काश्त करता हूँ। हमारे गावं दिलोदहाथी में भी रामचन्द्र पुत्र श्रीलाल की जमीन स्थित है। जिसमें रामचन्द्र के पिता श्रीलाल की मृत्यु वर्ष 2019 मे हो चूकी है। इसलिए ग्राम खरखडारामलोथान की खाता संख्या 308 की कुल किता 4 का रकबा 1.30 है0 आराजी में रामचन्द्र व श्रीलाल के दस्तावेज के आधार पर रामचन्द्र के पिता का नाम श्रीराम के स्थान पर श्रीलाल दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी के पिता का फौती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त सहवन से नाम श्रीलाल के स्थान पर श्री राम गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम श्रीलाल है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 02.08.2019 को हो चुकी है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत खरखडारामलोथान के प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीलाल सही दर्ज है। अतः ग्राम खरखडारामलोथान की खाता संख्या 308 में मेरे पिता का नाम श्रीराम के स्थान पर श्रीलाल दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक प्रार्थी की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खरखडारामलोथान की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 (प्रदर्श 1) के खाता संख्या 308 के ख0नं0 262/1269 का रकबा 0.80 हे0, ख.नं. 266/1220 का रकबा 0.17 हे0, ख.नं. 271/1268 का रकबा 0.17 हे०., ख.नं. 420/1270 का रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.30 है0 आराजी प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र श्री राम के खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम दीलोदहाथी के खाता संख्या 306 किता 9 रकबा 4.21 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम शामलाती खाते में रामचन्द्र पुत्र श्री लाल दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3ए में श्रीलाल पुत्र मोडूलाल अंकित है। प्रार्थी के आधार कार्ड प्रदर्श 4ए में रामचंद्र वर्मा पुत्र श्रीलाल वर्मा अंकित है। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड प्रदर्श 5ए, राशन कार्ड प्रदर्श 6ए , भारत निर्वाचन आयोग

के मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 8ए में श्रीलाल पुत्र मोडूलाल अंकित है। आयकर विभाग के पेन कार्ड प्रदर्श 10ए में श्रीलाल वर्मा पुत्र मोडू लाल वर्मा, मिनी बैंक शाखा खरखडारामलोथान की बैंक पास बुक प्रदर्श 7ए में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीराम उर्फ श्रीलाल अंकित है। प्रार्थी के पेन कार्ड में राम चन्द्र पुत्र श्रीलाल दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त दस्तावेजों, व साक्ष्यवादीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम श्रीलाल ही है।

6. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम खरखडारामलोथान की विवादित आराजी खाता संख्या 308 के ख0नं0 262/1269 का रकबा 0.80 हे0, ख.नं. 266/1220 का रकबा 0.17 हे0, ख.नं. 271/1268 का रकबा 0.17 हे०., ख.नं. 420/1270 का रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.30 है0 में खातेदार रामचन्द्र पुत्र श्री राम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र श्रीलाल उर्फ श्रीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां